रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 1971/आषाढ 8, 1893

No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 1971/ASADHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 29th June 1971

G.S.R. 986.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 131/70-Central Excises, dated the 2nd June, 1970, namely:—

In the said notification, for the figures, letters and word "30th June, 1971", the figures, letters and word "31st March, 1972" shall be substituted.

[No. 130/71-CE-F. No. 65/8/71-CX.2.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 29 जन, 1971

सा० का० नि०—986 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 131/70—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 जून, 1970 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में अंक, अक्षर और शब्द "30 जन, 1971" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 मार्च, 1972 प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 130/71 सी० ई०, एफ० सं० 65/871—सी० एक्स० 2]

आर० बी० सिन्हा,
उप सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971